180/2016 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 180/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर

07–02–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2016 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर से चाही गई 6 बिन्दुओ की सूचना उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2016 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. आपके पत्रांक 1069 दिनांक 16.09.16 में अंकित तथ्य प्रार्थी कार्यालय कैम्पस में ही वकालत का पेशा करता है इस कथन की दस्तावेजी सूचना, कि किस स्थान पर आपके कार्यालय की जिस व जिस व्यक्ति एडवोकेट के साथ बैठता है उसके हस्तलिखित कथन का शपथ पत्र व उपरोक्त आपके पत्र में अकिंत कथनो के संबध में।
2. प्रार्थी का उददेश्य सूचना प्राप्त करना न होकर राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना है एवमं अपना व्यक्शि। स्वार्थ सिद्वी है जिस दिन व जिस समय, जिस कार्य के संबध में जिस अधिकारी या कर्मकार के समक्ष जिस विषय वस्तु के संबध मे बाधा उत्पन्न की है उसकी सूचना व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. जो स्वार्थ सिद्वी, जिस विषय वस्तु के संबध में प्रार्थी द्वारा जिस कर्मकार व अधिकारी से की है उस विषय वस्तु का विवरण समय व दिनांक की सूचना व कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व कार्यसिद्वी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. आपके पत्रांक के पैरा संख्या 2 में यह कथन की वह उसका सगा भतीजा है कौन किसका सगा भतीजा है इस संबध में दस्तावेजी सबूत की सूचना व भतीजा होने का प्रमाण पत्र दस्तावेजी कि कौन किसका सगा भतीजा है।
5. आपके पत्रांक के पैरा संख्या 2 में अंकित तथ्य कि दोना का पैतृक सम्पति को लेकर विवाद चल रहा है पैतृक सम्पति के संम्बध मे सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि जिस दावे या विवाद से पैतृक सम्पति का विवाद चल रहा है।
6. उस न्यायालय का नाम, शहर का नाम व प्रकरण संख्या व पेशी की सूचना व उपरोक्त तथ्यों की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 1955 दि0 19.12.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1818 दिनांक 02.11.16 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। उनके द्वारा पत्र सं0 1818 दिनांक 02.11.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

180/2016

उपरोक्त विष्यान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार से है–

बिन्दु संख्या	प्रश्न	उत्तर
1.	. आपके पत्रांक 1069 दिनांक 16.09.16 में अंकित तथ्य प्रार्थी कार्यालय कैम्पस में ही वकालत का पेशा करता है इस कथन की दस्तावेजी सूचना, कि किस स्थान पर आपके कार्यालय की जिस व जिस व्यक्ति एडवोकेट के साथ बैठता है उसके हस्तलिखित कथन का शपथ पत्र व उपरोक्त आपके पत्र में अकिंत कथनो के संबध में।	राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पय किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, सविंदा,रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। क्योकि खोजकर खोजे गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
2.	प्रार्थी का उददेश्य सूचना प्राप्त करना न होकर राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना है एवमं अपना व्यक्शि। स्वार्थ सिद्वी है जिस दिन व जिस समय, जिस कार्य के संबध में जिस अधिकारी या कर्मकार के समक्ष जिस विषय वस्तु के संबध मे बाधा उत्पन्न की है उसकी सूचना व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।	
3.	जो स्वार्थ सिद्वी, जिस विषय वस्तु के संबध में प्रार्थी द्वारा जिस कर्मकार व अधिकारी से की है उस विषय वस्तु का विवरण समय व दिनांक की सूचना व कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व कार्यसिद्वी की प्रमाणित प्रतिलिपि।	
4.	आपके पत्रांक के पैरा संख्या 2 में यह कथन की वह उसका सगा भतीजा है कौन किसका सगा भतीजा है इस संबध में दस्तावेजी सबूत की सूचना व भतीजा होने का प्रमाण पत्र दस्तावेजी कि कौन किसका सगा भतीजा है।	राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में काई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल मत, सलाह, नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गइै समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है क्योकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
5.	आपके पत्रांक के पैरा संख्या 2 में अंकित तथ्य कि दोना का पैतृक सम्पति को लेकर विवाद चल रहा है पैतृक सम्पति के संम्बध मे सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि जिस दावे या विवाद से पैतृक सम्पति का विवाद चल रहा है।	उक्तानुसार
6.	उस न्यायालय का नाम, शहर का नाम व प्रकरण संख्या व पेशी की सूचना व उपरोक्त तथ्यों की प्रमाणित प्रतिलिपि।	उक्तानुसार

आप द्वारा चाही गई सूचना अन्वेषण कर ढूंढकर नये प्रारूप मे चाहने की श्रेणी में आती है इसलिए आपका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए कोई निश्चित सूचना व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई

सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 02.11.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर